भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2558
दिनांक 22 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

मंत्रालय में रिक्तियां

2558. श्री जावेद अली खान:
श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के मुख्य सचिवालय, इसके अधीनस्थ संगठनों, निकायों, संस्थानों आदि में रिक्तियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक उपर्युक्त सचिवालय, संगठनों, निकायों, संस्थानों आदि में रिक्तियों को भरने के लिए आबंटित, जारी की गई और प्रयुक्ति की गई निधि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और
(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक मुख्य सचिवालय, अधीनस्थ संगठनों, निकायों, संस्थानों आदि में भरी गई रिक्तियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी स्कीमों को नया रूप दिया गया है और जनशक्ति के इष्टतम उपयोग/युक्तिकरण के लिए 3 मिशनों अर्थात् (i) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, (ii) मिशन शक्ति और (iii) मिशन वात्सल्य, में समाहित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों के संबंध में, सरकार ने नवंबर, 2020 में भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार की गई 'सरकारी निकायों के युक्तिकरण' पर रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार सीएसडब्ल्यूबी, एफएनबी और आरएमके को बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) और इसके संबद्ध कार्यालयों के संबंध में 20 मार्च, 2023 तक की रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय के मुख्य सचिवालय या संबद्ध कार्यालयों में रिक्तियों को भरने के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है। मंत्रालय और संबंधित संबद्ध कार्यालयों के वेतन मद के तहत आवंटित बजट के माध्यम से व्यय किया जाता है। वेतन शीर्ष के तहत आवंटित और जारी बजट इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	**स्कीमों के नाम**	**बजट अनुमान 2022-23**	**संशोधित अनुमान 2022-23**	**जारी/उपयोग किया गया (14.03.2023 तक)**
1.	म.बा.वि. मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)	35.00	33.00	27.38
2.	एफएनबी	7.00	15.00	13.14
3.	निपसिड	22.00	22.00	22.00
4.	कारा	5.00	4.00	3.86
5.	एनसीपीसीआर	4.00	2.15	1.79
6.	एनसीडब्ल्यू	5.50	4.00	3.51
7.	सीएसडब्ल्यूबी	11.15	30.73	26.16
8.	आरएमके	आरएमके अपने सभी प्रशासनिक और स्थापना व्यय को आंतरिक स्रोतों से क्रेडिट, निवेश और वसूली प्रबंधन के माध्यम से अपनी कॉर्पस निधि से पूरा करता है।		

(ग) मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहत पद संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों अर्थात डीओपीटी, आर्थिक कार्य विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राजभाषा विभाग द्वारा संबंधित ग्रेड में भर्ती/ पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर भरे जाते हैं। इन पदों को

भरने में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है सिवाय रिक्तियों की सूचना देने और संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से उनके संबंधित पदों को भरने के लिए अनुरोध करने के अलावा, जो नियमित आधार पर किया गया है। समूह 'ग' पदों की रिक्तियों, जिसके लिए मंत्रालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है और संबद्ध कार्यालयों में रिक्तियों, जो मुख्य रूप से प्रतिनियुक्ति पद हैं, को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचित किया/विज्ञापन जारी किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों में वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक भरे गए पदों का विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	**मंत्रालय और इसके संबद्ध/संबद्ध कार्यालयों का नाम**	**2022-23 के दौरान अब तक भरी गई रिक्तियां**		
		समूह क	**समूह ख**	**समूह ग**
1.	कारा	8	-	-
2.	एनसीपीसीआर	4	-	-
3.	एनसीडब्ल्यू	4	-	-
4.	निपसिड	10	8	4

*****

अनुलग्नक-I

मंत्रालय में रिक्तियों के संबंध में श्री जावेद अली खान और श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा 22.03.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2558 के भाग (क) के उत्तर से संदर्भित अनुलग्नक

मंत्रालय के मुख्य सचिवालय और इसके संबद्ध कार्यालयों में 20 मार्च, 2023 तक रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	मंत्रालय और इसके संबद्ध/संबद्ध कार्यालयों का नाम	रिक्तियां		
		समूह क	समूह ख	समूह ग
1.	मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)	12	54	51
2.	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	8	4	3
3.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	10	11	13
4.	राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)	4	21	5
5.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	45	64	100
6.	केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी)	14	51	18
7.	खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी)	21	92	79
8.	राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)	8	4	13

*****